न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/121/25	2025/128	09.04.2025	17.04.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. रामशरण, दाताराम, विसराम, रामरतन पुत्रान हेमला निवासीयान रोगडा तहसील अलवर जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 20 (2) परन्तुक भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—
01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी
02— अप्रार्थीगण की अनुपस्थित दर्ज।

—:निर्णयः—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—20 (2) परन्तुक भूमि नियमन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम रोगडा तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा न0 792/165 रकबा 0.20 है0, 796/166 रकबा 0.1775 है0, 791/165 रकबा 0.20 है0, 795/166 रकबा 0.1775 है0, 790/165 रकबा 0.20 है0, 794/166 रकबा 0.1775 है0, 789/165 रकबा 0.20 है0, 793/166 रकबा 0.1775 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर भूमि का नियमन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 20 (2) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। तामील कुलिंदा द्वारा तामील में अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण रामशरण, दाताराम, विसराम, रामरतन पुत्रान हेमला निवासीयान रोगडा मौके पर मौजूद मिले, लेकिन तामील लेने हेतु मना किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न0 792/165 रकबा 0.20 है0, 796/166 रकबा 0.1775 है0, 791/165 रकबा 0.20 है0, 795/166 रकबा 0.1775 है0, 790/165 रकबा 0.20 है0, 794/166 रकबा 0.1775 है0, 789/165 रकबा 0.20 है0, 793/166 रकबा 0.1775 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर वाके ग्राम रोगड़ा तहसील व जिला अलवर दिनांक 08.04.2022 को अप्रार्थीगण को वास्ते कृषि कार्य के लिये नियमन किया गया था जिस आधार पर नामा० दर्ज हो कर जमाबंदी में अमल हो चुका है। उक्त आवंटन/नियमन की प्रक्रिया में राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन नियम), 1970 में वर्णित नियमों की पूर्णतया पालना नहीं की गई है एवं तथ्यों को छुपाया गया है जो कि एक गंभीर त्रुटि है।

उल्लेखनीय है कि उक्त नियमन राजस्व ग्राम रोगड़ा तहसील अलवर में किये गये है, जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34) वन/2007 दिनांक 06.07.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा चुका है। बफर क्षेत्र घोषित होने पर राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के भाग 4 के अनुसार इन नियमों के अधीन आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता है जिसे श्रीमान अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) महोदय अलवर द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट में भी पुष्ट किया गया है। कृषि

अ0 :रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20(2) परन्तुक के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ है। प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि नियमन दिनांक 08.04.2022 के द्वारा अप्रार्थी को किया गया आराजी खसरा न0 792/165 रकबा 0.20 है0, 796/166 रकबा 0.1775 है0, 791/165 रकबा 0.20 है0, 795/166 रकबा 0.1775 है0, 790/165 रकबा 0.20 है0, 794/166 रकबा 0.1775 है0, 789/165 रकबा 0.20 है0, 793/166 रकबा 0.1775 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर वाके ग्राम रोगडा का नियमन निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज। उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 08.04.2022 के द्वारा जारी नियमन आदेश (नियम–15) से अप्रार्थीगण रामशरण, दाताराम, विसराम, रामरतन पुत्रान हेमला निवासीयान रोगडा तहसील व जिला अलवर को हाल खसरा खसरा न0 792/165 रकबा 0.20 है0, 796/166 रकबा 0.1775 है0, 791/165 रकबा 0.20 है0, 795/166 रकबा 0.1775 है0, 790/165 रकबा 0.20 है0, 794/166 रकबा 0.1775 है0, 789/165 रकबा 0.20 है0, 793/166 रकबा 0.1775 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर भूमि का नियमन किया गया। उक्त आवंटन/नियमन की प्रक्रिया में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन नियम), 1970 में वर्णित नियमों की पालना नहीं की गई है एवं तथ्यों को छुपाया गया है, तथा आवंटन/नियमन सरिस्का वन क्षेत्र के बफर जोन अर्थात् प्रतिबंधित क्षेत्र में नियम विरूद्ध किया गया है। उक्त नियमन राजस्व ग्राम रोगड़ा तहसील अलवर में किये गये है, जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34) वन/2007 दिनांक 06.07.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा चुका है। बफर क्षेत्र घोषित होने पर राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के भाग 4 के अनुसार इन नियमों के अधीन आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता है, जिसे श्रीमान अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट में भी पुष्ट किया गया है। प्रार्थी के अनुसार प्रकरण प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट वन क्षेत्रों में आती है जिसे दिनांक 06.07.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया हुआ है। उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा जारी नियमन आदेश दिनांक 08.04.2022 आवंटन नियम 1970 में नियमन हेतु निर्धारित, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के विपरीत जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 20(2) परन्तुक भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का नियमन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 20(2) परन्तुक भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा अप्रार्थीगण रामशरण, दाताराम, विसराम, रामरतन पुत्रान हेमला निवासीयान रोगडा तहसील व जिला अलवर को आराजी खसरा न0 792/165 रकबा 0.20 है0, 796/166 रकबा 0.1775 है0, 791/165 रकबा 0.20 है0, 795/166 रकबा 0.1775 है0, 790/165 रकबा 0.20 है0, 794/166 रकबा 0.1775 है0, 789/165 रकबा 0.20 है0, 793/166 रकबा 0.1775 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर भूमि के किए गए नियमन आदेश दिनांक 08.04.2022 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)